>

Title: * Need to release the full share of surplus water of Ravi and

Beas rivers to Rajasthan.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, दिनांक 31.12.81 को प्रधान मंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ निर्धारित किया गया था। समझौते में एक प्रावधान रखा गया था कि जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता है, तब तक पंजाब राजस्थान के आधिक्य हिस्से के पानी को उपयोग में ले सकेगा। उसके अनुसार राजस्थान को 8 एम.ए.एफ पानी का ही आबंटन किया गया। इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी का उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान ने अपने हिस्से के शेष 0.60 एम.ए.एफ जल को छोड़ने के लिए केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को कई बार प्रतिवेदन दिये हैं, लेकिन पंजाब राज्य द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है।

अतः भारत सरकार से आग्रह है कि राजस्थान के 0.60 एम.ए.एफ जल को छोड़ने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को इस संबंध में निर्देश जारी करें।

*Treated as laid on the Table